91/68

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु.

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

048298

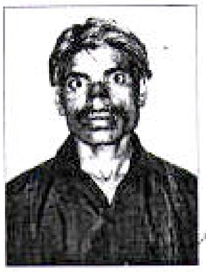

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रू0 8,00,000/-
बाजारू मूल्य : रू0 6,95,750/-
स्टाम्प शुल्क : रू0 80,000/-
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख मिठाई लाल पुत्र रूप नरायन, निवासी ग्राम-मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना बिजनौर, तहसील व जिला

आदर्श [illegible] लखनऊ

17-6-07

2अ7710

[illegible]

8008000L

8008+40=7048

मिठाईलाल पुत्र/[illegible] रामनरायन

[illegible] मुअब्बलनगर [illegible] विजौर [illegible] लखनऊ

ने आज [illegible]

मय मुसन्ना 17-6-06 [illegible] चिन्ह

सहित प्रस्तुत किया।

नि.अ. मिठाईलाल

उप निबन्धक

लखनऊ

17-6-06

निष्पादन लेख [illegible] सत्यापन

[illegible] से प्राप्त [illegible]

पाकर [illegible]

स्वीकार किया।

मिठाईलाल उक्त एवं निष्पादक [illegible]

[illegible] उक्त [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक
बीस हजार रुपये
RUPEES 20000 रुपये
INDIA NON JUDICIAL
Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

048299

लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् राम सरन पुत्र ननका कोरी, निवासी–मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–262 रकबा 0.063 हेक्टेअर व खसरा संख्या–356/4 रकबा 0.443 हेक्टेअर, कुल दो किता व कुल रकबा 0.506 हेक्टेअर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ, के

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 17-6-06

मूल्य

नाम २८ (?)

द्वारा

पेशकार / मोहरिर

उनका पहचान श्री सुनील कुमार
पुत्र श्री आर.एस. कुमार
निवासी लालबाग लखनऊ
व श्री महेश चन्द्र
पुत्र श्री मैकूलाल
निवासी अमीनाबाद लखनऊ

उप निबन्धक प्रथम
लखनऊ
17-6-06

नि०अ० मिठाईलाल

नि०अ० प्रसून

Mahesh

नक्शे पर ... के निशान / अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

उप निबन्धक प्रथम
लखनऊ
17-6-06

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 048300

मालिक, कामिल व काबिज हैं षटवार्षिक खतौनी फसली वर्ष 1412 से 1417 के अनुसार असंक्रमणीय दर्ज है किन्तु भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष 1383 फसली है, अर्थात विक्रेता का पट्टा 10 वर्ष से अधिक पुराना है, इसलिए शासनादेश अनुसार विक्रेता को संक्रमणीय अधिकार प्राप्त हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु.

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 048J08

काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवीं या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही

है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 8,00,000/– (रूपया आठ लाख मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वाामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त

नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 13,75,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.506 हेक्टेअर की मालियत रू0 6,95,750/– होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 80,000/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं

क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

खसरा संख्या–262 रकबा 0.063 हेक्टेअर व खसरा संख्या–356/4 रकबा 0.443 हेक्टेअर, कुल दो किता व कुल रकबा 0.506 हेक्टेअर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

<u>खसरा न0 262</u>

पूरब	: खसरा संख्या–278
पश्चिम	: चक रोड
उत्तर	: खसरा संख्या–263
दक्षिण	: खसरा संख्या–261

<u>खसरा न0 356</u>

पूरब	: खसरा संख्या–353, 357, 358, 310
पश्चिम	: खसरा संख्या–403, 404, 415
उत्तर	: खसरा संख्या–386, 385, 362, 363
दक्षिण	: खसरा संख्या–307,308,309

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य रू0 8,00,000/– (रूपया आठ लाख मात्र) में से विक्रेता को रू0 5,00,000/– (रूपया पाँच लाख मात्र) द्वारा चेक संख्या–455741 व रू0 3,00,000/– (रूपया तीन लाख मात्र) द्वारा चेक संख्या–455742 दिनांकित 17.06.2006, जारीकर्ता बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रता स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक:17.06.2006

गवाह

1. [signature] सुनील श्रीवास्तव पु० स्व० ... बालागंज, लखनऊ

विक्रेता

2. Mahesh Chandra S/o Manoharlal Arjun Ganj Lko.

क्रेता

टाईपकर्ता
[signature]
(अभय शाह)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
[signature]
(सैय्यद अन्ज़र हुसैन)
एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- मिठाई लाल S/o स्व. नारायण
मुजफ्फर नगर [illegible] बिजनौर लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

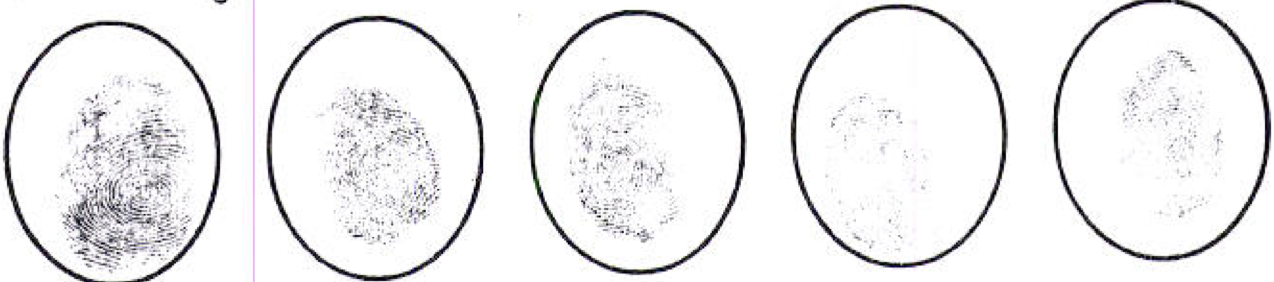

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

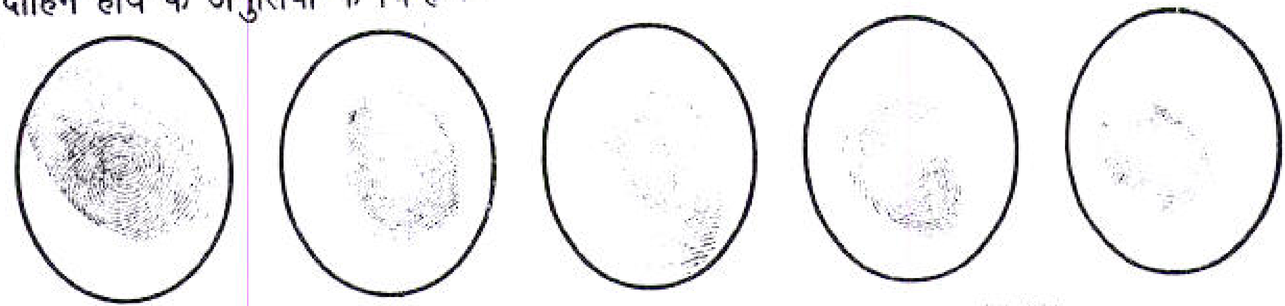

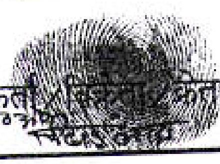

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

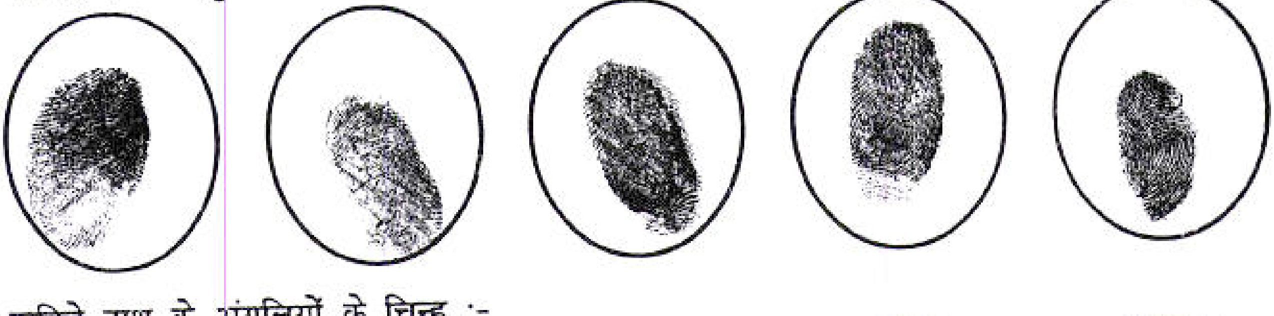

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

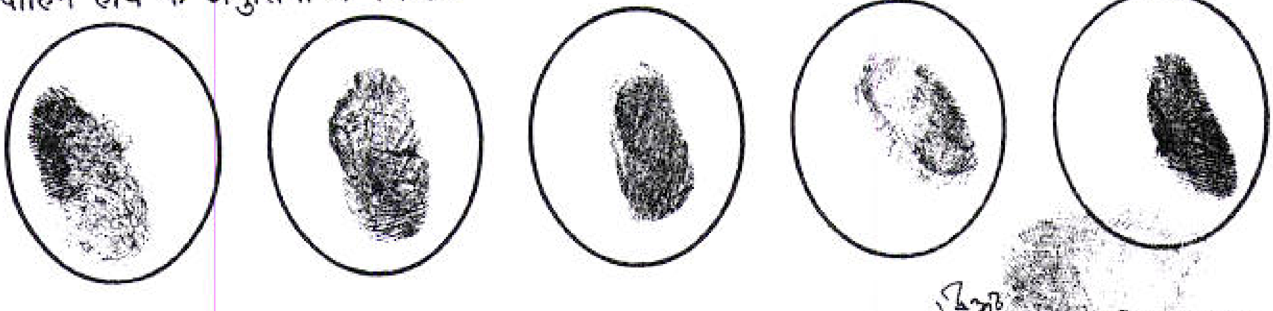

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

नक्शा - नजरी

ग्राम :- मुजफ्फरनगर [illegible]

खसरा नं० :- 356/4, 262

विक्रेता :- निजाउद्दीन

क्रेता :- राजाराम

200 मी. त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समस्त परिसम्पत्तियों का विवरण

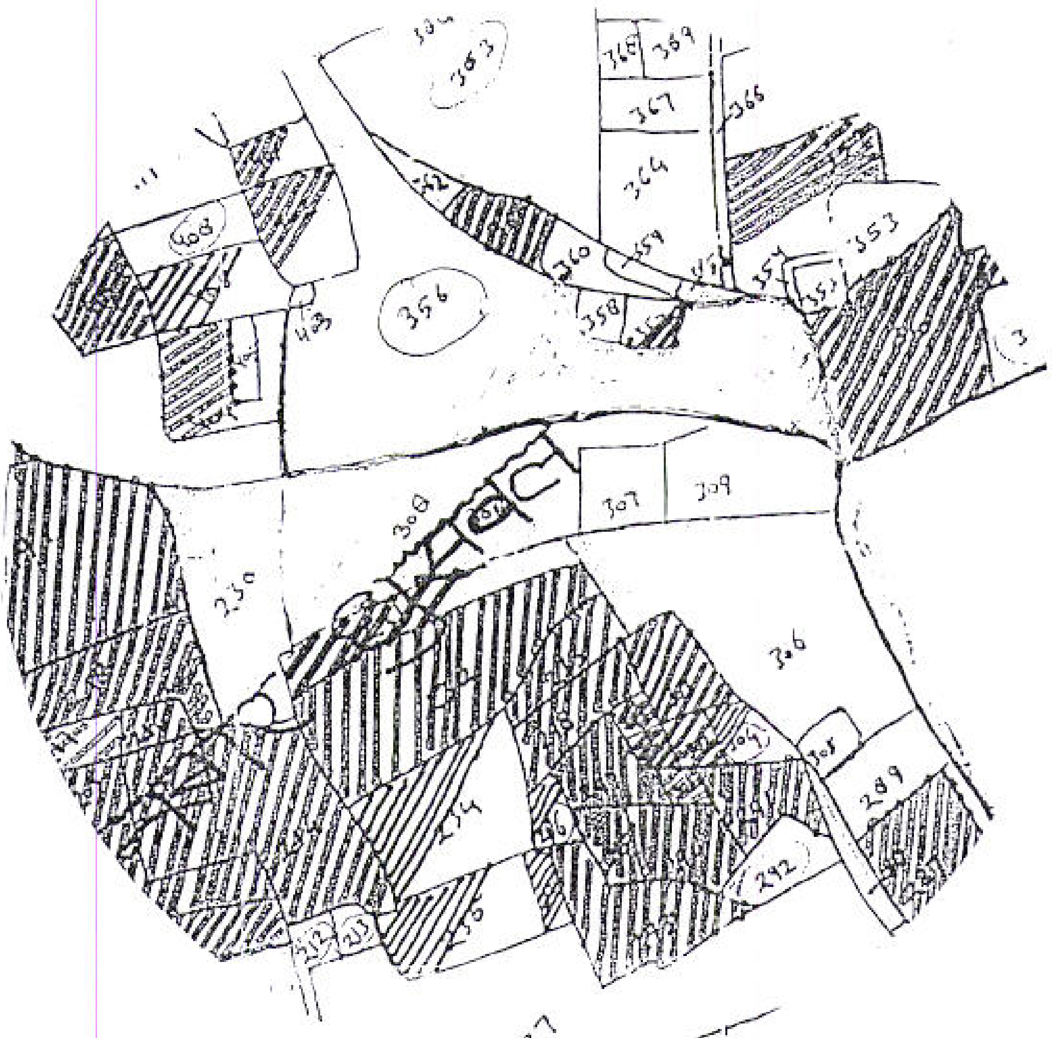

नि० अंगूठा निजाउद्दीन

नि० अं० राजाराम

नक्शा - नजरी

ग्राम :- मुहम्मदाबाद गुरुकुल

खसरा नं० :- 356/4, 262

विक्रेता :- निजामुद्दीन

क्रेता :- राजाराम

200 मी० त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित सभी परिसम्पत्तियों का विवरण

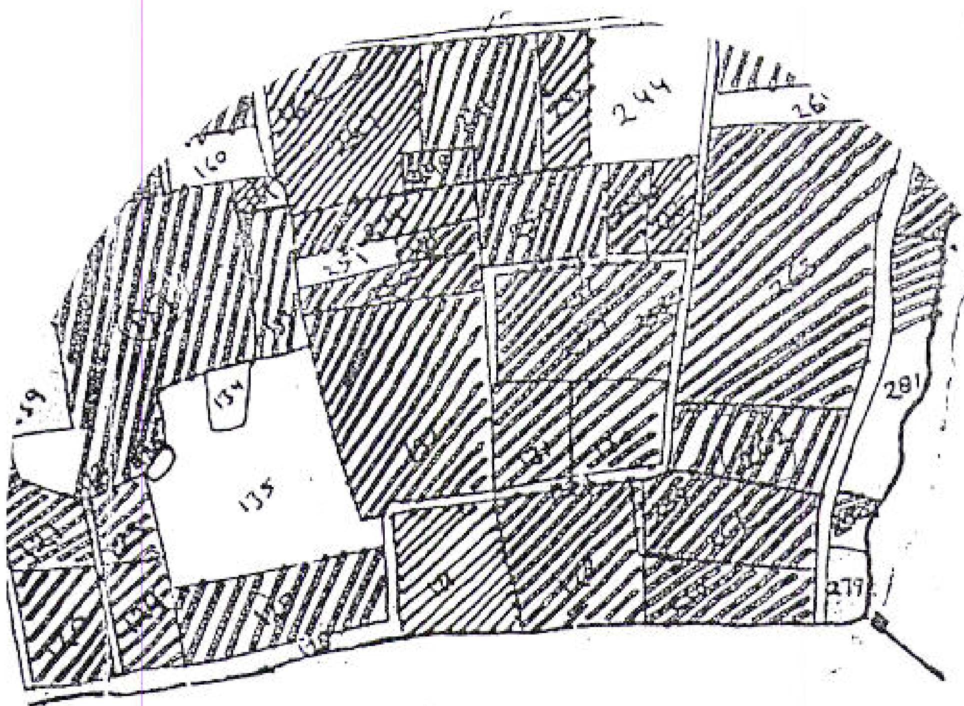

आज दिनांक 17-6-06 को 7647

पुस्तक सं. I ... 5281

पृष्ठ 79 ... क्रमांक संख्या

रजिस्ट्री 180 ... गया।

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ